न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा–2025 शिविर– पांवेरा

प्रकरण संख्या:– 88/2025 दिनांक:– 30/06/2025

उनवान

श्री मती ममता देवी पत्नि स्व. रामचरण बनाम सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरूस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का पांवेरा भू. अ. नि. पांवेरा एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम पांवेरा प0 ह0 पांवेरा की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
	पति का नाम	ममता देवी पत्नि स्व. रामचन्द्र, ममता देवी पत्नि स्व. पप्पू	ममता देवी पत्नि स्व. रामचरण।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

प्रतिलिपी :–

1. तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] पांवेरा।
2. प्रार्थी श्री ममता देवी [illegible]
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.08.05 15:45:34 IST
Reason: SelfAttested